

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

DATED: ALLAHABAD: MARCH 23, 2021

No. 137 /Admin. (Services)/2021

Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. **27/Do-4-2021** dated **03.03.2021**, Sri **Shikhar Agarwal**, candidate of Civil Judge, Junior Division to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Lakhimpur Kheri against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission vice Sri Abhay Rajvanshi.

No. 138 /Admin. (Services)/2021

Sri **Abhay Rajvanshi**, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Lakhimpur Kheri to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Lakhimpur Kheri for trying cases of crime against women vice Sushri Akanchha Jaiswal.

No. 139 /Admin. (Services)/2021

Sushri **Akanchha Jaiswal**, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Lakhimpur Kheri to be Additional Civil Judge (Junior Division), Lakhimpur Kheri.

BY ORDER OF THE COURT

sd/-

(AJAI KUMAR SRIVASTAVA-I)

REGISTRAR GENERAL

No. 135/Admin. (Services)/2021: Allahabad: Dated: March 23, 2021

Copy forwarded for information & necessary action to:

1. The Executive Chairman, U.P. State Legal Services Authority, Third Floor, Jawahar Bhawan Annexe, Lucknow-226001.
2. Pramukh Sachiv, Niyukti, U.P. Shasan, Lucknow.
3. Pramukh Sachiv, Nyay Evam Vidhiparamarshi, Uttar Pradesh Shasan, Lucknow.
4. The Director, Institute of Judicial Training & Research, Vineet Khand, Gomti Nagar, U.P. Lucknow with request to impart Induction Training to aforesaid newly appointed Civil Judge, Junior Division in their wisdom. (Information available on E-mail).
5. The Senior Registrar, High Court, Lucknow Bench, Lucknow. (Information available on E-mail).
6. The Additional Director, Treasury, Camp Office, First Floor, New Treasury Building, Kutchery Road, Allahabad.
7. All the District & Sessions Judges alongwith photocopy of U.P. Government Appointment/Notification No. 27/Do-4-2021 dated 03.03.2021 (Information available on E-mail).

The concerned District & Sessions Judge is directed that to permit the newly appointed candidate of Civil Judge, Junior Division, to take over charge on the post.

The certificate of taking over charge by the candidate Civil Judge Junior Division be sent to the Assistant Registrar (Services), High Court, Allahabad.

The District & Sessions Judge is directed to make arrangement for field training in the judgeship for newly recruited/ appointed candidate of Civil Judge, Junior Division as per instruction contained in letter No. 421/Admin(Services)/2019 dated 28.08.2019

It is to add that local arrangement shall be made by you in pursuance to the circular letter No.27/D.R.(S)/2000 dated 21.6.2000.

8.

Sri Shikhar Agarwal S/o Sri Navin Agarwal, R/o 183, Khairulla Shah, Pilibhit, U.P. - 262001

You shall proceed to take over charge of your place of posting immediately. Court's Notifications have been sent to you by speed/registered post and it is also available on official website of Hon'ble Court i.e. www.allahabadhighcourt.in.

You should note that your appointment to the post of Civil Judge, Junior Division in U.P. Nyayik Sewa is purely temporary until you are absorbed and appointed as permanent Civil Judge, Junior Division. Your appointment shall be subjected to general condition of services applicable to temporary Government servant Rules, contained in Government Notification No. 20/I/74-Niyukti-3, dated June 11, 1975 and also under the condition laid down in U.P. Government Notification/Appointment No. 27/Do-4-2021 dated 03.03.2021.

9. The Registrar (Judicial) (Confidential), High Court, Allahabad.
10. The Registrar (Judicial) (Computer)/ In charge Computer Centre, High Court, Allahabad
11. The Joint Registrar (Judicial) (Litigation), High Court, Allahabad.
12. The Joint Registrar (Judicial) (Budget), High Court, Allahabad.
13. The The Assistant Registrar (Admin. A-3) Section, High Court, Allahabad.
14. The Section Officer (Admin. H) Section, High Court, Allahabad
15. The Accountant General, U.P., Allahabad.
16. The Director, Printing & Stationary, U.P. Allahabad for publication of the notification in the next issue of the Gazette.
17. P.S. to Hon'ble the Administrative Judges with the request to place this notification before His Lordship's for kind perusal (Information available on E-mail).

BY ORDER OF THE COURT.

Sd/-

**(RAN VIJAY PRATAP SINGH)
JOINT REGISTRAR (JUDICIAL) (SERVICES)**

स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-4

संख्या-27/दो-4-2021

लखनऊ: दिनांक ०३ मार्च, 2021

विज्ञप्ति/नियुक्ति

सचिव, उ०प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या-181/01/ई-3/2018-19, दिनांक 27-11-2020 द्वारा प्राप्त संस्तुति के आधार पर उ०प्र० न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिप्टीजन) परीक्षा, 2018 की प्रतीक्षा सूची से चयनित/संस्तुत अभ्यर्थी श्री शिखर अग्रवाल, अनुक्रमांक 047315 को वेतनमान रूपये 27700-770-35090-920-40450-1080-44770 में सिविल जज (जूनियर डिप्टीजन) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किये जाने की थी राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- प्रश्नगत नियुक्ति दिव्यांगजन हेतु आरक्षण के सम्बन्ध में मा० उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 9096/2013 भारत संघ बनाम राष्ट्रीय दृष्टिबाधित व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08 अक्टूबर, 2013 के अन्तर्गत मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा लिये गये निर्णय के अधीन होगी।

3- उपरोक्त अभ्यर्थी श्री शिखर अग्रवाल की तैनाती के आदेश अलग से मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जायेंगे तथा पारस्परिक ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

मुकुल सिंह,

अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 27(1)/दो-4-2021, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु भरे गये मूल आवेदन प्रपत्र (संलग्नकों सहित) एवं चिकित्सा परिषद की मेडिकल रिपोर्ट मूलरूप में संलग्नकर इस मन्तव्य के साथ प्रेषित कि उक्त अभ्यर्थी यदि मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में बिना किसी समुचित कारणों के अपना योगदान इस सेवा में प्रस्तुत नहीं करता है, तो उस स्थिति से शासन को अचिन्त अवगत कराया जाय। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी की तैनाती के सम्बन्ध में मा० न्यायालय के आदेश की

- प्रति तथा अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, समय आदि की सूचना भी शासन को कृपया तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ०प्र०, शिविर कार्यालय, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
 - 4- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-181/01/ई-3/2018-19, दिनांक 27-11-2020 के सन्दर्भ में।
 - 5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, प्रयागराज, उ०प्र० को बजट के आगामी अंक में हिन्दी तथा उर्दू में प्रकाशनार्थ।
 - 6- प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ०प्र० शासन।
 - 7- निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ०प्र०, गोमतीनगर, लखनऊ।
 - 8- सम्बन्धित अभ्यर्थी श्री शिखर अग्रवाल पुत्र श्री नवीन अग्रवाल, 183, चैरुल्लाशाह, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश-262001 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उनकी यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। अभ्यर्थी अपनी तैनाती के सम्बन्ध में महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जाने वाले तैनाती आदेश के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। यदि बिना समुचित कारणों के वह मा० न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा ऐसी स्थिति में इस सेवा में नियुक्ति के लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस सेवा में कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं है तो उसकी लिखित सूचना महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को तत्काल प्रेषित करें। उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि सिविल जज (जूनियर डिबीजन) के पद पर उनकी नियुक्ति अस्थायी रूप से इस प्रतिबन्ध के साथ की जा रही है कि उन्हें निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ०प्र०, गोमतीनगर, लखनऊ के निर्देश प्राप्त होने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
उक्त अभ्यर्थी जब तक सिविल जज (जूनियर डिबीजन) के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं हो जाता है तब तक वह अस्थायी कर्मचारियों पर लागू अधिसूचना संख्या-20/1/74, नियुक्ति-3, दिनांक 11-6-1975 में दी गयी शर्तों के अधीन रहेगा। अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता, अनुमन्य नहीं होगा।
 - 9- अनुभागीय गार्ड फाईल।

(मुकुल सिंह)
अपर मुख्य सचिव।